न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा, हाल- सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, सिरोडी जरिये सरपंच, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
(3) श्री बृजराज सिंह, तत्कालीन ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, सिरोडी, वर्तमान ग्रामसेवक पदेन सचिव, पंचायत समिति मसूदा, जिला- अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या: 10/2014

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

उपस्थिति:

1. प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 24 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा श्री गोर्वधन सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा के पक्ष में क्षेत्रफल 300 वर्गफीट भूमि का जारी कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 01.1.2003 एवं अप्रार्थी योगेन्द्रसिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, जाति- राजपूत, निवासी-पीथापुरा, हाल-सिरोडी के पक्ष में क्षेत्रफल 600 वर्गफीट भूमि का जारी कब्जा प्रमाण पत्र मय नजरी नक्शा क्रमांक:2007-08/48 दिनांक 28.1.2008 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही से श्री गोवर्धन सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, सिरोडी, पंचायत समिति रेवदर के विरुद्ध पंचायत की आबादी भूमि में अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण करने बाबत प्राप्त शिकायत की जांच पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही से करवाई गई। जांच में उक्तानुसार जारी प्रमाण व नजरी नक्शा अवैध व अनियमित जारी होने पाये गये। दुकानें के जारी प्रमाण पत्र दिनांक 01.1.2003 की चतुर्दशी में पूर्व दिशा में सिरोही-अनादरा सड़क, पश्चिम में वगतारामजी का प्लॉट, उत्तर दिशा में हाजराजी तोलाजी का प्लॉट व दक्षिण दिशा में नदी व पडत भूमि व क्षेत्रफल 300 वर्गफीट बताया हुआ है। दूसरा जारी नजरी नक्शा दिनांक 28.1.2008 की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में गोवर्धनसिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह जी, दक्षिण दिशा में पड़त व नदी, पूर्व में सड़क व दरवाजा एक व पश्चिम दिशा में सुरता वगताजी की भूमि व कुल क्षेत्रफल 600 वगफीट का बताया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

अर्न्तगत आबादी भूमि के कब्जा प्रमाण/नजरी नक्शा जारी करने का कोई प्रावधान नही है। जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक/पंचायत/02/339 दिनांक 18.5.2002 के द्वारा ऐसे कब्जा प्रमाण पत्र/नजरी नक्शें जारी नही करने का आदेश जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या-1 को जारी प्रमाण पत्र व नजरी नक्शा की आबादी भूमि सिरोडी से सिरोही हाईवे रोड के पश्चिम दिशा में स्थित है जो वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ होने से ग्राम पंचायत सिरोडी को लाखों रुपयो का नुकसान पॅहुचाया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 योगेन्द्र सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 योगेन्द्र सिंह की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 25.7.2014 को अप्रार्थी संख्या-3 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, उसके बाद अप्रार्थी संख्या-3 उपस्थित नही हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 21.5.2018 को प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 1.1.2003 में ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा जो भूमि अप्रार्थी योगेन्द्रसिंह के पिता गोवर्धनसिंह के कब्जे भोगवटे की दर्शाई है एवं नजरी नक्शा दिनांक 28.1.2008 में ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह के कब्जे भोगवटे की दशाई है, वह भूमि अप्रार्थी योगेन्द्रसिंह के पुश्तैनी व पुराने कब्जे भोगवटे की भूमि है तथा मौके पर अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह का पुश्तैनी आवासीय मकान निर्मित है व कुछ भाग पर दुकान बनाई हुई है। उक्त कब्जा प्रमाण पत्र व नजरी नक्शा में अंकित भूमि पर आवासीय मकान व दुकान का निर्माण वर्ष 1994 व 1995 में अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह के पिता गोवर्धन सिंह जी द्वारा करवाया गया था। अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह ने अपने पुश्तैनी व पुराने कब्जे भोगवटे की भूमि पर निर्मित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, सिरोडी में दिनांक 28.1.2008 को आवेदन किया था जिस पर ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सिरोडी द्वारा मौके का निरीक्षण कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145(3) के तहत मकान का नजरी नक्शा बनाया था। जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या-3 श्री बृजराज सिंह, तत्कालीन ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी होती है। मौके पर अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह का पुराना व पुश्तैनी मकान निर्मित है तथा उक्त निर्माण वर्ष 1995 में किया हुआ होने से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह राशि रुपये 200/- में ग्राम पंचायत, सिरोडी से अपने पुश्तैनी व पुराने मकान का विनियमितिकरण करवाकर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी है। मौके पर निर्मित मकान अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह के पुश्तैनी व पुराने कब्जे, मालकी व स्वामित्व का है। अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह के उक्त आवेदन दिनांक 28.1.2008 पर ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह को

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत राशि रुपये 200/- में अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह के पुश्तैनी व पुराने मकान का नियमन कर पट्टा जारी करना चाहिये था, लेकिन ग्राम पंचायत सिरोडी ने पट्टा जारी नही कर प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, इसमें ग्राम पंचायत, सिरोडी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नही हुआ है, इसलिये प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा के पक्ष में क्षेत्रफल 300 वर्गफीट भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 01.1.2003 को जारी किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा के ग्राम सिरोडी में स्वयं का कब्जा शुदा दवाई की दुकान पक्की 300 वर्गफीट की सिरोही-अनादरा राजमार्ग पर सड़क से 50 मीटर की दूरी पर है एवं इसमें बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है जिसकी मालकी स्वयं गोवर्धन सिंह की है। उक्त कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 01.1.2003 में चतुर्दशी पूर्व में सिरोही-अनादरा सडक, पश्चिम में वगताराम जी का प्लोट, उत्तर में हाजरा जी तोलाजी का प्लोट व दक्षिण में नदी व पड़त भूमि अंकित है। इसी तरह, ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोडी के पक्ष में क्षेत्रफल 20X30=600 वर्गफीट भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र मय नजरी नक्शा क्रमांक: 48/07-08 दिनांक 28.1.2008 को इस आशय का जारी किया गया है कि श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र गोवर्धनसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोडी का ग्राम पंचायत सिरोडी की आबादी भूमि में बना बनाया मकान स्थित है, जिसकी चतुर्दशी उत्तर में गोर्वधनसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह जी, दक्षिण में पड़त व नदी, पूर्व में सड़क व दरवाजा एक व पश्चिम में सुथार वगताजी की भूमि है व क्षेत्रफल 20X30=600 वर्गफीट अंकित किया हुआ है।

राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में कब्जेशुदा आबादी भूमि का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र अथवा कब्जे की भूमि का नजरी नक्शा जारी करने का कोई प्रावधान नही है। यदि किसी व्यक्ति का पंचायत की आबादी भूमि में कब्जे और स्वत्व का दावा न्यायसंगत है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि वसूल कर संबंधित भूमि का पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का पंचायत की आबादी भूमि में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 लागू होने की तिथि से पूर्व का पुराना आवासीय गृह बना हो तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत ऐसे पुराने आवासीय गृहों के विनियतिकरण किये जाने का प्रावधान है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा जारी उक्त प्रमाण पत्रों से संबंधित भूमि सिरोही-रेवदर हाईवे सड़क पर स्थित है एवं उक्त कब्जा प्रमाण पत्र/नजरी नक्शा से संबंधित भूमि के मौके पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दुकानें बनी हुई है। ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्र की भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के उपनियम 3

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के अर्न्तगत प्रचलित बाजार दर की दुगुनी राशि वसूल कर संबंधित व्यक्ति के पक्ष में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र व नजरी नक्शा जारी करने का कोई प्रावधान नही है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा जारी कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 01.1.2003 व कब्जा प्रमाण पत्र मय नजरी नक्शा दिनांक 28.1.2008 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, सिरोडी को मौके व रेकर्ड की जांच करने व अप्रार्थी योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोर्वधन सिंह, ज़ाति- राजपूत, निवासी- सिरोडी को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पीथापुरा के पक्ष में जारी कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 01.1.2003 एवं अप्रार्थी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोडी के पक्ष में जारी कब्जा प्रमाण पत्र मय नजरी नक्शा क्रमांक: 48/07-08 दिनांक 28.1.2008 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, सिरोडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके एवं रेकर्ड की जांच करे व श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सिरोडी को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे।

24.05.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही